

[2024] 6 एससीआर 287: 2024 आईएनएससी 430

श्रीमती श्यामो देवी और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5539/2012)

16 मई 2024

[न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार]

विचार के लिए मुद्दा

विषय भूमि को पंचायत घर के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, हालांकि बाद में इसे आवासीय उपयोग के लिए फिर से निर्दिष्ट कर दिया गया था और अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ताओं) सहित आवंटितियों को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-ग के तहत आवंटन किया गया। आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी जो निर्विवाद रूप से आवंटन की तारीख से 13 साल के बाद थी। चूंकि, उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, क्या ऐसी कार्यवाही की शुरुआत किसी भी समय या किसी भी समयबिन्दु पर हो सकती है जहां कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। क्या रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई धोखाधड़ी की गई थी या कारण बताओ के नोटिस के तहत उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हेडनोट

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम -धारा 122-ग(6)- भूमि के आवंटन को रद्द करना , कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं- कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग, यदि किसी भी समय किया जा सकता है या ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना है और यदि हां, तो कितने समय के भीतर:

माना गया: इस न्यायालय को इसी तरह के मुद्दे पर अर्थात् आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 50-ख की उपधारा (4) के तहत स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग पर विचार करने का अवसर इब्राहिमपटनम तालुका व्यावसाय कुली संघम बनाम के सुरेश रेड्डी [2003] सप्प 2 एससीआर 698 में मिला, जिसमें यह माना गया था कि धोखाधड़ी के मामले में भी स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और धोखाधड़ी का पता चलने की तारीख से उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है - इसके अलावा, एपी अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (4) में, "कलेक्टर किसी भी समय स्वप्रेरणा से कर सकता है" अभिव्यक्ति का प्रयोग हो रहा है जबकि ऐसी अभिव्यक्ति यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-(ग) की उप-धारा (6) में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है - इसके अलावा, तहसीलदार को भेजी गई रिपोर्ट या लेखपाल की संसूचना से भी यह संकेत नहीं मिलता है कि रिट याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई धोखाधड़ी हुई या अभिकथित हो- हालांकि, तहसीलदार ने जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई रिपोर्ट में, कुछ प्रकल्पित अनियमितताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि आवंटन अनियमित था और आवंटन की मंजूरी उप-जिला मजिस्ट्रेट के जाली हस्ताक्षर के आधार पर थी- हालांकि, उप-जिला मजिस्ट्रेट के जाली हस्ताक्षर किए जाने के इस तरह के निष्कर्ष के आधार का उल्लेख नहीं

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

किया गया था- आवंटियों पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया कि उन्होंने हस्ताक्षर जाली किए हैं- वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कारण बताओ नोटिसों में रिट याचिकाकर्ताओं को किसी भी धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था - उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश; अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश जिसमें माना गया था कि रद्द करने की कार्यवाही किसी भी समय शुरू की जा सकती है और साथ ही अपर आयुक्त, (प्रशासन) मुरादाबाद संभाग द्वारा पारित आदेश बरकरार रखने योग्य नहीं है और अपास्त किए जाते हैं। [पैरा 13, 15-17, 19]

उद्धृत केस लॉ

अपर आयुक्त, राजस्व और अन्य बनाम अखलाक हुसैन और एक अन्य [2020] 2 एससीआर 1001:(2020) 4 एससीसी 507; पंजाब राज्य बनाम भटिंडा दूध उत्पादक संघ लिमिटेड [2007] 11 एससीआर 14:(2007) 11 एससीसी 363; इब्राहिमपट्टनम तालुक व्यावसाय कुली संघम बनाम के. सुरेश रेड्डी [2003] सप्प. 2 एससीआर 698 :(2003) 7 एससीसी 667- पर अवलम्ब।

अधिनियमों की सूची

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम।

मुख्य शब्दों की सूची

भूमि के आवंटन को रद्द करना; पंचायत घर; परिसीमा की अवधि निर्धारित नहीं है; धोखाधड़ी; स्वप्रेरणा से शक्ति का प्रयोग; उचित समय/अवधि के भीतर; धोखाधड़ी का पता लगाना; जाली हस्ताक्षर; कारण बताने के लिए नोटिस।

वाद निम्न से उत्पन्न

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5539/2012

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सीएमडब्ल्यूपी संख्या 1995/2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 19.01.2010 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों के अधिवक्ता यश पाल ढींगरा

प्रत्यर्थियों के अधिवक्तागण तन्मय अग्रवाल, त्रिक चटर्जी, श्रीमती अदिति अग्रवाल, विनायक मोहन।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1995/2010 में पारित दिनांक 19.01.2010 के फैसले के खिलाफ की गई है, जिसके तहत यहां अपीलकर्ताओं (जिन्हें आगे 'रिट याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता' कहा जाएगा) द्वारा 2008-09 के पुनरीक्षण संख्या 68 में पारित दिनांक 23.09.2009 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और उक्त आदेश को इस कारण से बरकरार रखा गया कि पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है और परिणामस्वरूप अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 07.02.2008 को पारित आदेश को बरकरार रखा गया जिसमें कहा गया था कि पट्टे को रद्द करने की कार्यवाही किसी भी समय शुरू की जा सकती है।

2. हमारे दिनांक 13.03.2024 के आदेश द्वारा, हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि चूंकि अपीलार्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था, इसलिए आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और न्याय के हित में रिट याचिकाकर्ताओं को एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। हालाँकि, आज भी जब

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामला दूसरी बार में बुलाया गया, अपीलार्थियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। इसलिए हम अपील में दी गई दलीलों, उसमें बताए गए आधारों और प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करके गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं।

3. इस अपील को दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

4. वर्ष 1969-70 में, उत्तर प्रदेश के रामपुर केदार गाँव में खसरा भूखंड संख्या 185 को पंचायत घर के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे 1993 में अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। ग्राम प्रधान के अनुरोध पर उक्त भूखंड के एक हिस्से को सहायक कलेक्टर द्वारा आवासीय उपयोग के लिए फिर से निर्दिष्ट कर दिया गया था और बाद में उक्त सर्वेक्षण संख्या में भूमि के विभिन्न भूखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम (इसके बाद संक्षेप में 'यूपीजेएलआर अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 122-ग(आई) (डी) के तहत रिट याचिकाकर्ताओं सहित विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित किए गए।

5. 13 वर्षों के बाद, भूमि प्रबंधक समिति, रामपुर के सचिव/लेखपाल ने अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया था कि भूखंड को मूल रूप से पंचायत घर के रूप में नामित किया गया था और यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 132 के तहत वर्गीकृत किया गया था और तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जिसे अवैध रूप से आवासीय उपयोग के लिए आवंटित कर दिया गया था। इसलिए, उन्होंने किए गए आवंटन को रद्द करने और रिट याचिकाकर्ताओं सहित सभी आवंटनकर्ताओं से भूमि का कब्जा लेने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद तहसीलदार ने 18.06.2007 दिनांकित संचार के माध्यम से आवंटन को रद्द करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक प्रस्ताव भेजा। इसके परिणामस्वरूप रिट याचिकाकर्ताओं को 05.07.2007 दिनांकित नोटिस जारी किए गए और उनके द्वारा 04.10.2007 को आपत्तियां

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दाखिल करके इसका विधिवत जवाब दिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा परिसीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, क्योंकि आवंटन की तारीख से 13 साल बाद कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया गया था कि 3 साल की अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी। अपर कलेक्टर का दिनांक 07.02.2008 के आदेश द्वारा यह विचार था कि स्वप्रेरणा पर कार्रवाई शुरू की गई है, यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-ग(6) के तहत कोई परिसीमा प्रदान नहीं की गई है; यह कि चकबन्दी कार्यवाही के दौरान भूमि को "पंचायत घर" निर्दिष्ट किया गया था और यह यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 132 (6) के अन्तर्गत आता था; भूमि का आवंटन अनियमित था और धारा 122-सी (6) के तहत किए गए आवंटन को रद्द करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिनियम के तहत कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है और दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

6. उक्त आदेश से व्यथित होकर पुनरीक्षण याचिका अपर आयुक्त के समक्ष दायर की गई, जिस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया और खारिज कर दिया गया।

7. उपरोक्त दो (2) आदेशों से व्यथित होने के कारण, रिट याचिकाकर्ताओं ने 2010 की रिट याचिका संख्या 1995 में इसे चुनौती दी, जिसे दो आधारों पर खारिज कर दिया गया, अर्थात् दायर की गई पुनरीक्षण याचिका धारा 122-सी(7) के अनुसार बनाए रखने योग्य नहीं थी और इस आधार पर कि अपर कलेक्टर द्वारा परिसीमा के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पारित दिनांक 07.02.2008 का आक्षेपित आदेश सही है और इसमें कोई मेरिट नहीं है। इसलिए यह अपील की गयी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. जैसा कि हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री तन्मया अग्रवाल ने जोरदार तर्क दिया है कि धोखाधड़ी सभी कार्यों को दूषित करती है और वर्तमान मामले में यूपीजेडएलआर अधिनियम के तहत राजस्व को रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में की गई भूमि के अवैध और धोखाधड़ी वाले आवंटन को रद्द करने का अधिकार दिया गया था और इस तरह के आवंटन को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसके लिए यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-सी (6) के तहत कोई परिसीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है और विशेष रूप से जब विचाराधीन भूमि को पंचायत घर के रूप में आरक्षित किया गया था तो यह यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 132 के तहत शासित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अन्यथा भी जहां एक भूमिधर कृषि, बागवानी या पशुपालन से जुड़े किसी उद्देश्य से अलग किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करता है, वह धारा 143 का उल्लंघन होगा और स्वीकार रूप से, धारा 143 के तहत आवश्यक आवासीय उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में थे और राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी दिनांक 07.02.2008 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करके ठीक ही किया था और रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने मुकदमे को परिसीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज करने की मांग की थी। इसलिए, वह इस अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करते हैं।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.07.2012 के आदेश पर ध्यान देना उचित होगा। यह इस प्रकार है:-

"अनुमति प्रदान की गयी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस बीच, पक्षों को विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है, जैसी कि आज है। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि कोई भी पक्ष संपत्ति के वर्तमान स्वरूप को नहीं बदलेगा या उसे किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।”

(हमारे द्वारा प्रभाव वर्धित)

10. देहाती और अनपढ़ ग्रामीण रिट याचिकाकर्ताओं ने मुरादाबाद जिले की तहसील ठाकुरद्वारा के गाँव धोधर में घर निर्माण के उद्देश्यों के लिए भूमि के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। उसी के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के पति/पिता सहित अन्य को गाटा संख्या 185 एमआई में प्रत्येक को 150 वर्ग गज क्षेत्र आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन उप –जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 27.06.1994 को अनुमोदित किया गया और भूमि प्रबंधन समिति, रामपुर, ढोढर द्वारा अग्रेषित दिनांक 15.05.1994 के प्रस्ताव के अनुसरण में आवंटन किया गया था। इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य आवंटनकर्ताओं ने आवास बनाकर निर्माण किया है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसमें रह रहे हैं। हालांकि, 13 साल की अवधि के बाद 13.06.2007 को लेखपाल ने इस आधार पर इस तरह के आवंटन को रद्द करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रिट याचिकाकर्ताओं और अन्य आवंटनकर्ताओं को आवंटित भूमि को पंचायत घर के रूप में वर्गीकृत किया गया था और यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार इसे रिट याचिकाकर्ताओं को आवंटित नहीं किया जा सकता था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, तहसीलदार ने उप-जिला मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी, जिसके तहत कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया और आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गई। इसलिए, आवंटन को रद्द करने की कार्यवाही सभी आवंटियों को 05.07.2007 दिनांकित कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. इस प्रकार, पूर्व-वर्णित तथ्यों से यह सामने आता है कि अधिकारियों ने लेखपाल की 13.06.2007 दिनांकित रिपोर्ट के आधार पर आवंटन को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की, जो निर्विवाद रूप से आवंटन की तारीख से 13 साल बाद थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यूपीजेडएलआर अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है जैसा कि प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है। इस न्यायालय ने **अपर आयुक्त, राजस्व और अन्य बनाम अखलाक हुसैन और अन्य**, (2020) 4 एससीसी 507 के मामले में पैराग्राफ 28 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 122 सी की उप-धारा (6) कलेक्टर को आवंटन के अनियमित होने के संबंध में जांच करने का अधिकार देती है और यदि वह संतुष्ट होता है कि ऐसा आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है। धारा 122 सी(6) निम्नानुसार है:

“**122 सी (6)** कलेक्टर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और इस धारा के तहत भूमि के आवंटन से व्यथित किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन में निर्धारित तरीके से जांच कर सकता है, और यदि वह संतुष्ट है कि आवंटन अनियमित है, तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उसके बाद आबंटित भूमि में आबंटित व्यक्ति और उसके तहत दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व और हक समाप्त हो जाएगा।”

12. हालाँकि, जिस प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऐसी कार्यवाही की शुरुआत किसी भी समय या किसी भी समय बिन्दु पर हो सकती है जहां कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम भटिंडा दूध उत्पादक संघ लिमिटेड (2007) 11 एससीसी 363** में कहा है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“18. यह सामान्य बात है कि यदि परिसीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो सांविधिक प्राधिकारी को उचित अवधि के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। हालाँकि, उचित अवधि क्या होगी, यह अधिनियम की प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगी।”

13. इस न्यायालय को इसी तरह के मुद्दे पर अर्थात् आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 (संक्षेप में 'एपी अधिनियम') की धारा 50-ख की उपधारा (4) के तहत स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग पर विचार करने का अवसर **इब्राहिमपटनम तालुका व्यावसाय कुली संघम बनाम के सुरेश रेड्डी** (2003) 7 एससीसी 667 के मामले में मिला था कि क्या यह किसी भी समय हो सकता है या ऐसी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना है और यदि ऐसा है, तो किस समय के भीतर किया जा सकता है? उक्त मामले में प्राप्त तथ्य यह था कि थोड़ी सी भूमि के मालिकों ने सादे कागज पर विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में विभिन्न बिक्री विलेखों को निष्पादित किया और भूमि का कब्जा भी खरीदारों को सौंप दिया गया। विक्रेताओं ने बिक्री के सत्यापन के लिए आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 50-बी के तहत आवेदन किया और संबंधित तहसीलदार ने विभिन्न तिथियों पर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए। तहसीलदार के उक्त आदेशों को विशेष तहसीलदार और अधिकृत अधिकारी (भूमि सुधार) द्वारा जिले के संयुक्त कलेक्टर के समक्ष चुनौती दी गई, जिसकी अपील 1988 में खारिज कर दी गई। इसके बाद संयुक्त कलेक्टर ने विक्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) के तहत स्वप्रेरणा शक्ति का उपयोग करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में दायर आपत्तियों पर विचार करने के बाद वर्ष 1974 या उससे पहले जारी किए गए सत्यापन प्रमाणपत्रों को क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए, संयुक्त कलेक्टर ने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1989 में सत्यापन प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष चुनौती दी गई थी, ने रिट याचिकाकर्ताओं की याचिका को इस निष्कर्ष पर पहुँचकर स्वीकार कर लिया कि पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए था, हालाँकि अधिनियम की धारा 50-बी (4) प्राधिकरण को किसी भी समय इस तरह की स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देती है। शिकायत दाखिल करने वाले अभियुक्त आवेदकों ने खण्ड पीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जहां तक सत्यापन प्रमाणपत्रों का प्रश्न है, जो धोखाधड़ी से भरे पाए गए थे, उन्हें खंडपीठ ने खारिज कर दिया तथा यह भी ध्यान में रखा कि पक्षों ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

14. एपी अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) को तत्काल संदर्भ के लिए यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-सी की उप-धारा (6) के साथ जोड़ा जा सकता है और इसमें लिखा है:

यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-सी (6)	एपी अधिनियम की धारा 50-बी (4)
122-सी (6) कलेक्टर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर और इस धारा के तहत भूमि के आवंटन से व्यथित किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन में निर्धारित तरीके से जांच कर सकता है, और यदि वह संतुष्ट है कि आवंटन अनियमित है, तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है,	50-बी (4) कलेक्टर, किसी भी समय, स्वप्रेरणा पर, इस धारा के तहत तहसीलदार द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र या की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख की मांग और जांच कर सकता है, ताकि वह ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

और उसके बाद आबंटित भूमि में आबंटित व्यक्ति और उसके तहत दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व और हक समाप्त हो जाएगा।	संतुष्ट कर सके और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सके जो वह उचित समझे: बशर्ते कि इस उप – धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को उसमें अपना प्रत्यावेदन करने का अवसर नहीं मिला हो।
---	---

15. **इब्राहिमपट्टनम** (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें धारा 50-बी की उपधारा (4) को लागू किया गया था, यह प्रकट करता है कि अभिव्यक्ति **'कलेक्टर किसी भी समय स्वप्रेरणा से कर सकता है;** का उपयोग हो रहा है, जबकि ऐसी अभिव्यक्ति यूपीजेडएलआर अधिनियम की धारा 122-(सी) की उपधारा (6) में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। उपरोक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धोखाधड़ी के मामले में भी उचित अवधि के भीतर और धोखाधड़ी का पता चलने की तारीख से उचित समय के भीतर स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया:

“12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के निर्णयों सहित विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और उन पर अवलम्ब लिया है कि अधिनियम की धारा 50-बी की उपधारा (4) में "किसी भी समय" शब्दों के प्रयोग को किस प्रकार समझा जाना चाहिए। आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को मंजूरी दी है और

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

उसकी पुष्टि की है। जहाँ कोई अधिनियम किसी भी परिसीमा की अवधि निर्धारित किए बिना पुनरीक्षण की कोई स्वप्रेरणा शक्ति प्रदान करता है, वहाँ शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर "उचित समय" निर्धारित किया जाना चाहिए।

13. ऊपर जो कहा गया है, उसके आलोक में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के इस विचार की पुष्टि करने में सही थी कि अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) के तहत स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना है।

19. यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि संयुक्त कलेक्टर द्वारा 13-15 वर्षों के बाद स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने की मांग की गई थी। धारा 50-बी को वर्ष 1979 में उप-धारा (4) जोड़कर संशोधित किया गया था, लेकिन 1989 तक स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रमाणपत्रों को अमान्य करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस बात का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है कि अधिकारियों ने इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा (4) को इस प्रकार जोड़ा गया था ताकि ऐसी कार्रवाई की जा सके जहां भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के लिए संक्रामण या हस्तांतरण किए गए थे। भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1-1-1975 को लागू होने के बाद, अधिकारियों को उचित समय के भीतर स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने के लिए जांच और प्रयास करने चाहिए थे। कई वर्षों के बाद और उचित अवधि के भीतर स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग नहीं करने और तहसीलदार द्वारा दिए गए सत्यापन प्रमाणपत्रों को रद्द करने के आदेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पारित करने में संयुक्त कलेक्टर की कार्रवाई, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित माना गया था, को कायम नहीं रखा जा सका।”

धारा 122-सी की उप-धारा (6) में 'किसी भी समय' अभिव्यक्ति नहीं मिलने के कारण, यह हमें आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं रोकेगा।

16. हालाँकि, खुद को संतुष्ट करने के लिए कि क्या वर्तमान मामले में धोखाधड़ी का मुद्दा उत्पन्न होगा? और यदि ऐसा है, तो क्या शुरू की गई कार्यवाही में ऐसे मूलभूत तथ्य रखे गए थे? या ऐसी धोखाधड़ी, यदि कोई हो, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई है या कारण बताओ नोटिसों के तहत उनके जिम्मेदार ठहराया गया है, की भी जांच की गई है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, ऊपर वर्णित आधारभूत तथ्यों अर्थात् तहसीलदार को भेजी गई लेखपाल की दिनांक 13.06.2007 की रिपोर्ट या पत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके परिशीलन से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि इस तरह की धोखाधड़ी हुई है या रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया गया है। हालांकि, तहसीलदार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई दिनांक 18.06.2007 की रिपोर्ट में कहा गया है कि विषय भूमि को पंचायत घर के लिए संरक्षित किया गया था और यह उप-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में काम करने वाले पेशकर द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सूचित किया था कि फाइल पर तत्कालीन उप-जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं हैं और तहसीलदार ने भी कुछ अनियमितताएं पाई हैं। दूसरे शब्दों में, इस तरह की अनुमानित अनियमितताओं के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आवंटन अनियमित था, कानून के खिलाफ था और आवंटन की मंजूरी उप-जिला मजिस्ट्रेट के जाली हस्ताक्षर के आधार पर थी। हालांकि, उप-जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के जाली होने जैसे निष्कर्ष का आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया है या दूसरे शब्दों में, रिपोर्ट मूक (इसके

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बारे में उल्लेख नहीं) है। यह भी ध्यान देना दिलचस्प है कि किसी भी प्रकृति का कोई भी आरोप आवंटनकर्ताओं द्वारा जाली हस्ताक्षर करने के लिए नहीं लगाया गया है। इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि **इब्राहिमपट्टनम(उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत उपलब्ध तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होंगे और इस तरह इसमें आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

17. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि धोखाधड़ी के मामले में धारा 122-सी की उप-धारा (6) के तहत आवंटन को रद्द करने के लिए स्वप्रेरणा पर कार्रवाई शुरू करने के लिए कलेक्टर की शक्ति उपलब्ध है और ऐसे मूलभूत तथ्यों से इसका खुलासा होगा, लेकिन यह कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त होगा क्योंकि धोखाधड़ी सभी कार्यवाही को दूषित करती है जैसा कि ऊपर उल्लिखित **अखलाक हुसैन** के मामले में माना गया है। कानून की इस स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए तथा वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जिनकी ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है तथा जिन्हें कारण बताओ नोटिस में नहीं रखा गया है, हम इस सुविचारित दृष्टिकोण पर पहुंचे हैं कि आक्षेपित आदेश तथा रिट न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किए गए आदेश बरकरार रखने योग्य नहीं हैं।

18. फिर भी एक और बात जो आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए हमारे दिमाग में आई है, वह यह है कि 27.06.1994 को किए गए आवंटन के अनुसार, आवंटितगण जो गरीब देहाती ग्रामीण हैं, उन्होंने अपने घरों का निर्माण किया है और यह आवंटन तत्कालीन उप-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर किया गया था और वे पिछले कई वर्षों से उनके द्वारा बनाए गए आवासीय भवनों में रह रहे हैं और उन्हें विस्थापित करने के परिणामस्वरूप उन गरीब असहाय व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा और विशेषकर तब जब विषयगत भूमि का उपयोग गरीब और आवासहीन व्यक्तियों को आवंटन के लिए किया गया हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. पूर्व में बताए गए समग्र कारणों से , अपील को अनुमति दी जाती है और 19.01.2010 दिनांकित आक्षेपित आदेश के साथ-साथ 07.02.2008 दिनांकित आदेश, जिसे अपर कलेक्टर-यहां प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित किया गया है और अपर आयुक्त, (प्रशासन) मुरादाबाद संभाग द्वारा पारित 23.09.2009 दिनांकित आदेश को ऊपर दिए गए अवलोकन के अधीन एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

हेडनोट तैयार कर्ता: दिव्या पांडे

मामले का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।